



पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ



प्रेस नोट सं0-277

दिनांक 29.01.2025

जोन-पश्चिमी/ थाना दुबग्गा

लूट व चोरी की घटनाओं का किया गया सफल अनावरण

- लूट व चोरी की घटना में शामिल 03 शातिर अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।
- कब्जे से चोरी व लूट के 04 अदद मोबाइल व घटना में प्रयुक्त व चोरी के कुल 03 अदद दो पहिया वाहन बरामद।
- क्राइम टीम डीसीपी पश्चिमी व थाना दुबग्गा पुलिस की संयुक्त कार्यवाही।

01-संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 22.01.2025 को वादी मुकदमा श्री आसिफ खान पुत्र इरशाद खान निवासी गंजमुरादाबाद, थाना बाँगरमऊ, जिला उन्नाव की लिखित तहरीर बावत अज्ञात मोटरसाइकिल सवार दो व्यक्तियों द्वारा वादी के भाई आदिल खान का मोबाइल झपटमारी कर छीन लेने तथा वादी के भाई आदिल खान रिक्शे से गिर जाने से चोटें आने के सम्बन्ध में दाखिल किया गया जिसके आधार पर मुकदमा अपराध संख्या 0027/2025 धारा 304 भा0न्या0सं0 बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

आज दिनांक 29.01.2025 को मुखबिर खास की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित लूटी गयी मोबाइल की बरामदगी की गयी तथा एक अन्य मोबाइल की भी बरामदगी की करते हुए घटना मे प्रयुक्त 02 अदद मोटर साइकिल की बरामदगी कोतवाली दुबग्गा व श्रीमान पुलिस उपायुक्त पश्चिमी महोदय की क्राइम टीम द्वारा करते हुए अभियुक्तगण 01. राज हुसैन पुत्र तौफिर हुसैन नि0- विशाल सिटी अमरसिंह का किराये का मकान थाना ठाकुरगंज लखनऊ मूलपता राजा बाजार महमूदाबाद थाना महमूदाबाद जिला सीतापुर उम्र करीब 23 वर्ष 2. मो0 दिलशाद पुत्र जमील अहमद नि0- ब्लाक न0- 28 चार मंजिला कालोनी आम्रपाली थाना दुबग्गा लखनऊ मूलपता ग्राम रेउसा थाना रेउसा जिला सीतापुर उम्र करीब 19 वर्ष की गिरफ्तारी की गयी, तथा मुकदमा उपरोक्त मे धारा 304 भा0न्या0सं0 को धारा 309(6)/317(2) भा0न्या0सं0 मे तरमीम करते हुए अभियुक्त गण को न्यायिक अभिरक्षा मे भेजा गया।

एवं आज दिनांक 29.01.2025 को कोतवाली दुबग्गा की पुलिस टीम व श्रीमान पुलिस उपायुक्त पश्चिमी महोदय की क्राइम टीम के साथ मिलकर मुखबिर खास की सूचना पर अभियुक्त मुस्तकीम पुत्र मो0 मुसीर निवासी मोहदीनपुर थाना काकोरी जनपद- लखनऊ व मूलपता कजियारा निकट मन्नी चौराहा थाना कोतवाली सदर सीतापुर उम्र करीब 21 वर्ष के कब्जे से दो अदद चोरी के मोबाइल व एक अदद चोरी की मोटर साइकिल की बरामदगी करते हुए मुकदमा अपराध संख्या 0036/2025 धारा 317(2) भा0न्या0सं0 पंजीकृत करते हुए अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा मे भेजा गया।

02-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. राज हुसैन पुत्र तौफिर हुसैन नि0- विशाल सिटी अमरसिंह का किराये का मकान थाना ठाकुरगंज लखनऊ मूलपता राजा बाजार महमूदाबाद थाना महमूदाबाद जिला सीतापुर उम्र करीब 23 वर्ष
2. मो0 दिलशाद पुत्र जमील अहमद नि0- ब्लॉक न0- 28 चार मंजिला कालोनी आम्रपाली थाना दुबग्गा लखनऊ मूलपता ग्राम रेउसा थाना रेउसा जिला सीतापुर उम्र करीब 19 वर्ष
3. मुस्तकीम पुत्र मो0 मुसीर निवासी मोहदीनपुर थाना काकोरी जनपद- लखनऊ व मूलपता कजियारा निकट मन्नी चौराहा थाना कोतवाली सदर सीतापुर उम्र करीब 21 वर्ष

03-अनावरित अभियोग:

1. मुकदमा अपराध संख्या 0027/2025 309(6)/317(2) भा0न्या0सं0 कोतवाली दुबग्गा लखनऊ

04-बरामदगी

- लूट व चोरी के 04 अदद मोबाइल फोन
- घटना में प्रयुक्त व चोरी के कुल 03 अदद मोटरसाइकिल

05-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:

- 1- प्रभारी निरीक्षक अभिनव कुमार वर्मा कोतवाली दुबग्गा लखनऊ
- 2- व0उ0नि0 योगेन्द्र कुमार कोतवाली दुबग्गा लखनऊ
- 3- उ0नि0 अशीष बालियान क्राईम टीम प्रभारी श्रीमान पुलिस उपायुक्त पश्चिमी महोदय
- 4- उ0नि0 अंकित बालियान क्राईम टीम श्रीमान पुलिस उपायुक्त पश्चिमी महोदय
- 5- उ0नि0 शिव सिंह कोतवाली दुबग्गा लखनऊ
- 6- उ0नि0 सन्तोष कुमार सिंह कोतवाली दुबग्गा लखनऊ
- 7- उ0नि0 तेज कुमार शुक्ला कोतवाली दुबग्गा लखनऊ
- 8- उ0नि0 अभिषेक कुमार पाण्डेय कोतवाली दुबग्गा लखनऊ
- 9- उ0नि0 कुलदीप यादव कोतवाली दुबग्गा लखनऊ
- 10- हे0का0 प्रदीप तिवारी क्राईम टीम श्रीमान पुलिस उपायुक्त पश्चिमी महोदय
- 11- हे0का0 गोविन्द क्राईम टीम श्रीमान पुलिस उपायुक्त पश्चिमी महोदय
- 12- हे0का0 वीर सिंह क्राईम टीम श्रीमान पुलिस उपायुक्त पश्चिमी महोदय
- 13- का0 आशीष कुमार कुशवाहा क्राईम टीम श्रीमान पुलिस उपायुक्त पश्चिमी महोदय
- 14- का0 अंकित यादव कोतवाली दुबग्गा लखनऊ
- 15- का0 अजीत कुमार कोतवाली दुबग्गा लखनऊ
- 16- का0 विनोद कुमार यादव कोतवाली दुबग्गा लखनऊ
- 17- का0 राहुल यादव कोतवाली दुबग्गा लखनऊ
- 18- का0 संदीप यादव कोतवाली दुबग्गा लखनऊ



पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ



प्रेस नोट सं0-276
दिनांक-29.01.2025

जोन- पूर्वी/ थाना-गोमतीनगर

- वांछित चल रहे 01 नफर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार ।
- गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा नाबालिग पीडिता के साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को संश्रय दिया गया था ।

01-सक्षिप्त विवरण:-

थाना स्थानीय पर वादी द्वारा बावत- वादी की पुत्री का घर से बिना बताये कही चले जाने विषयक प्रा0 पत्र प्राप्त हुआ था । प्राप्त प्रा0 पत्र के आधार पर मु0अ0सं0- 0584/2024 धारा- 137(2) बीएनएस थाना गोमतीनगर कमिश्नरेट लखनऊ पंजीकृत हुआ था। पीडिता के बयान के आधार पर धारा 61(1)/74/351(3)/142 बीएनएस व 5/6, 16/17 पाक्सो एक्ट थाना गोमतीनगर की बढोत्तरी हुयी एवं अभियुक्त नीरज यादव उपरोक्त का नाम प्रकाश में आया।

02-अपराध का उद्देश्य:-

आज दिनांक 29.01.2025 को मुकदमा उपरोक्त में वांछित चल रहे अभियुक्त नीरज यादव पुत्र अरविन्द यादव नि0 हाल पता – मटियारी थाना चिनहट लखनऊ, मूल पता – ग्रा0 गुन्दापुर थाना खिरोह जनपद रायबरेली उम्र करीब 28 वर्ष को मुखबिर की सूचना पर थाना पुलिस द्वारा आर आर बन्धा रोड गोमतीनगर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। अभियुक्त उपरोक्त द्वारा नाबालिग पीडिता के साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को संश्रय दिया गया था।

दुष्कर्म आरोपी अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु तलाश पतारसी सुरागरसी जारी है, एवं 82 सीआरपीसी की कार्यवाही भी की जा चुकी है। शीघ्र ही गिरफ्तारी की जायेगी।

03- गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण—

1- नीरज यादव पुत्र अरविन्द यादव नि0 हाल पता – मटियारी थाना चिनहट लखनऊ, मूल पता – ग्रा0 गुन्दापुर थाना खिरोह जनपद रायबरेली उम्र करीब 28 वर्ष

04- पंजीकृत अभियोग-

1- मु0अ0सं0 584/2024 धारा 137(2)/61(1)/74/351(3)/142 बीएनएस व 5/6, 16/17 पाक्सो एक्ट थाना गोमतीनगर लखनऊ

नोट- अभियुक्तगण उपरोक्त के अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

05- गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

- 1- श्री राजेश कुमार त्रिपाठी प्रभारी निरीक्षक थाना गोमतीनगर लखनऊ
- 2- का0 अंकुर चौधरी
- 3- का0 सतीश खरबार



पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ



प्रेस नोट सं0-274

दिनांक-29.01.2025

जोन- उत्तरी/ थाना-गुडम्बा

- नफर वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार ।

01-सक्षिप्त विवरण:-

मा0 न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय कक्ष संख्या -28 लखनऊ द्वारा जारी NBW केस नं0 4802561/10 अराध संख्या 219/10 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना गुडम्बा लखनऊ से सम्बन्धित एक नफर वारण्टी अभियुक्त शिव नन्दन यादव पुत्र स्व0 राम आसरे यादव निवासी ओदरिया थाना घुघटेर जिला बाराबंकी उम्र 55 वर्ष को उसके अंकित पते से आज दिनांक 29/01/2025 को उ0नि0 रंजीत कुमार मिश्रा मय हमराही पुलिस बल के मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किये जाने हेतु गिरफ्तार किया गया । जिसके विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

02-अपराध का उद्देश्य:-

अभियुक्त मा0 न्यायालय द्वारा उपस्थित होने हेतु निर्गत आदेश की अवहेलना कर मा0 न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हो रहा था

03-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण—

1. शिव नन्दन यादव पुत्र स्व0 राम आसरे यादव निवासी ओदरिया थाना घुघटेर जिला बाराबंकी उम्र 55 वर्ष (आटा चक्की का कार्य करता है)

04-गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम थाना गुडम्बा:-

1. उ0नि0 श्री रंजीत कुमार मिश्रा
2. हे0का0 अशोक कुमार



पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ



प्रेस नोट सं0-275

दिनांक-29.01.2025

जोन-उत्तरी/ थाना-मडियांव

- अवैध मादक पदार्थ (गाँजा) की बिक्री करने वाला बेचने वालो 01 नफर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।
- कुल 143 कागज की पुड़िया (860 ग्राम अवैध गाँजा) बरामद।

01-सक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 28.01.2025 को थाना मडियांव लखनऊ की पुलिस टीम देखभाल क्षेत्र चेकिंग संदिग्ध वाहन/व्यक्ति एवं रात्रि गश्त में महादेव होटल के पास मामूर थी कि जरिए मुखबिर खास सूचना प्राप्त हुई कि एडवांस डायनोस्टिक्स के सामने वाली गली के पास काली शर्ट व काला पैन्ट पहने एक व्यक्ति पुड़ियो के हिसाब से गांजा को ग्राहक को बेचने के लिए इंतजार कर रहा है यदि शीघ्रता की जाए तो पकडा जा सकता है।

मुखबिर खास द्वारा बताये गये व्यक्ति को पकड़ लिया गया। पकड़े गये व्यक्ति से नाम पता पूछा गया तो अपना नामराम किशोर उर्फ अजय पुत्र स्व0 मेवालाल निवासी मूलपता ग्राम कुटरा पो0 कुटरा थाना बिसवां जनपद सीतापुर हालपता सीएनजी पेट्रोल पंप के पीछे झुग्गी झोपड़ी में थाना मडियांव लखनऊ उम्र 22 वर्ष बताया। पकड़े गये व्यक्ति के कब्जे से 143 अदद कागज की पुड़िया (860 ग्राम अवैध गाँजा)बरामद हुआ।

पकड़े गये व्यक्ति/अभियुक्त को उसके द्वारा कारित जुर्म धारा 8/20 NDPS ACT से अवगत कराते हुए समय लगभग 21.00 बजे को हिरासत पुलिस में लिया गया। दौराने गिरफ्तारी/निगरानी व बरामदगी माननीय सर्वोच्च न्यायालय व मानवाधिकार आयोग के आदेशों/निर्देशों का अक्षरशः पालन किया गया।

बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 066/25 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया। विधिक कार्यवाही पूर्ण कर अभियुक्तको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। आपराधिक इतिहास के सम्बन्ध में अन्य थाना व जनपद से जानकारी की जा रही है।

02-अपराध का उद्देश्य:-

- अभियुक्त द्वारा अवैध रूप से खरीदकर चोरी छिपे राह चलते लोगो को कागज की पुड़िया के हिसाब से बेच देना तथा अपना खर्च चलाना।

03-गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण—

1. राम किशोर उर्फ अजय पुत्र स्व0 मेवालाल निवासी मूलपता ग्राम कुटरा पो0 कुटरा थाना बिसवां जनपद सीतापुर हालपता सीएनजी पेट्रोल पंप के पीछे झुग्गी झोपड़ी में थाना मडियांव लखनऊ उम्र 22 वर्ष (व्यवसाय-ढोल बजाना)

04-ब्रामदगी:-

➤ 143 अदद कागज की पुडिया (860 ग्राम अवैध गाँजा)

05-गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री आलोक कुमार चौधरी
2. उ0नि0 श्री अखिलेश सिंह,
3. उ0नि0 श्री सत्येन्द्र कुमार
4. हे0का0 कैलाश चन्द्र
5. का0 अभिषेक कुमार
6. का0 दिग्वजय यादव



पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ



प्रेस नोट सं0-272

दिनांक 29.01.2024

जोन-पश्चिमी/ थाना -माल

- नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले जाने व दुष्कर्म करने के आरोपी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।
- नाबालिग को किया गया बरामद।

01-संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 20.01.2025 को वादी द्वारा उपस्थित थाना आकर बाबत वादी की पुत्री उम्र करीब 17 वर्ष को विपक्षी 1- सुधा पत्नी अमर कुमार नि0 ग्राम बघोलवा 2- एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा भगा ले जाने के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 0016/25 धारा 137(2) बीएनएस पंजीकृत कराया गया।

जिसके क्रम में वादी की पुत्री व अभियुक्त की तलाश की गयी। तलाश-पतारसी में दिनांक 27.01.2025 को वादी के पुत्री की पतारसी की गयी व फोटो मिलान करने पर देवरीभारत मोड़ पर उक्त महिला की पतारसी-सुरागरसी हो गयी। महिला के बयान के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 87/64 बीएनएस व 5म/6 पॉक्सो एक्ट की बढोत्तरी तथा विपक्षी किशन पुत्र मनसाराम नि0 ग्राम टांडा सिकन्दरपुर थाना मोहनलालगंज जनपद लखनऊ का नाम प्रकाश में आया।

अभियुक्त की पतारसी-सुरागरसी में आज दिनांक 29.01.2025 को उ0नि0 प्रिन्स कुमार मय हमराही के क्षेत्र में मामूर थे मुखबिर खास की सूचना पर अभियुक्त किशन उपरोक्त को माल-इंटौजा मार्ग पर 06 नम्बर ट्यूबवेल के पास से गिरफ्तार किया गया। विधिक कार्यवाही कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है।

02-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01-किशन पुत्र मनसाराम नि0 ग्राम टांडा सिकन्दरपुर थाना मोहनलालगंज जनपद लखनऊ उम्र 22 वर्ष

03-अनावरित अभियोग:

01-मु0अ0सं0 0016/25 धारा 137(2)/87/64 बीएनएस व 5एम/6 पॉक्सो एक्ट

04-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:

01-उ0नि0 श्री प्रिन्स कुमार

02-आ0 दीपक कुमार



पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ



प्रेस नोट सं0-273

दिनांक 29.01.2025

जोन- दक्षिणी/थाना-नगराम

अज्ञात व्यक्तियों द्वारा गाड़ी रूकवा कर मोबाइल व पैसे लूट लेने की घटना का सफल अनावरण।

- घटना में शामिल 02 शातिर अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।
- घटना में शामिल 02 शातिर अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।
- गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा वादी/पीड़ित की गाड़ी रूकवा कर छीन लिये गये थे, मोबाइल व पैसे।
- कब्जे से लूटा गया 01 अदद मोबाइल फोन, 3370/-रूपये नगद व घटना में प्रयुक्त 01 अदद मोटरसाइकिल बरामद।
- थाना नगराम पुलिस की सफलता।

01-सक्षिप्त विवरण-

दिनांक 23/24-01-2025 की रात्रि में अज्ञात व्यक्तियों द्वारा गाड़ी रूकवा कर मोबाइल व पैसे लूट लेने के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-25/25 धारा 309(4) बीएनएस पंजीकृत किया गया था।

विवेचना के क्रम में दिनांक 28.01.2025 को मुखविर खास की सूचना पर नगराम पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त गण 01. गौरव उर्फ गोलू पुत्र शिव प्रसाद उम्र करीब 22 वर्ष निवासी ग्राम सठवारा थाना गोसाईगंज जनपद लखनऊ 02. गोविन्द कुमार उर्फ गोपी पुत्र सहदेव उम्र करीब 24 वर्ष निवासी ग्राम सठवारा थाना गोसाईगंज जनपद लखनऊ को डोभिया जंगल के पास ग्राम नन्दा खेडा मोड से गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्तगणों के पास से 01 अदद मोबाइल टच स्क्रीन VIVO कंपनी, 3370/- रुपये नगद व एक अदद अपाचे मोटरसाइकिल सफेद रंग नं0- UP32GQ-7715 बरामद हुआ।

बरामद माल को वादी मुकदमा से तस्दीक कराते हुए अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही करते हुए न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।

02-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण—

01. गौरव उर्फ गोलू पुत्र शिव प्रसाद उम्र करीब 22 वर्ष निवासी ग्राम सठवारा थाना गोसाईगंज जनपद लखनऊ
02. गोविन्द कुमार उर्फ गोपी पुत्र सहदेव उम्र करीब 24 वर्ष निवासी ग्राम सठवारा थाना गोसाईगंज जनपद लखनऊ

03-अनावरित अभियोग-

1. मु0अ0सं0-25/25 धारा 309(4),317(2) बी0एन0एस0 थाना नगराम जनपद लखनऊ ।

04- नाम पता अभियुक्त व आपराधिक इतिहास

01.गौरव उर्फ गोलू पुत्र शिव प्रसाद उम्र करीब 22 वर्ष निवासी ग्राम सठवारा थाना गोसाईगंज जनपद लखनऊ

- मु0अ0सं0-65/24 धारा 392,411 भादवि थाना गोसाईगंज जनपद लखनऊ ।
- मु0अ0सं0-555/23 धारा 379,411 भादवि थाना सुशान्त गोल्फ सिटी जनपद लखनऊ ।
- मु0अ0सं0-62/24 धारा 411,414 भादवि थाना गोसाईगंज जनपद लखनऊ ।

02. गोविन्द कुमार उर्फ गोपी पुत्र सहदेव उम्र करीब 24 वर्ष निवासी ग्राम सठवारा थाना गोसाईगंज जनपद लखनऊ

- मु0अ0सं0-65/24 धारा 392,411 भादवि थाना गोसाईगंज जनपद लखनऊ ।
- मु0अ0सं0-555/23 धारा 379,411 भादवि थाना सुशान्त गोल्फ सिटी जनपद लखनऊ ।
- मु0अ0सं0-62/24 धारा 411,414 भादवि थाना गोसाईगंज जनपद लखनऊ ।

05-बरामदगी।

- 01 अदद मोवाइल टच स्क्रीन VIVO कंपनी
- 3,370/- रुपये नगद व
- एक अदद अपाचे मोटरसाइकिल सफेद रंग नं0- UP32GQ-7715

06-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 01.थानाध्यक्ष विवेक कुमार चौधरी
02. उ0नि0 राजकपूर यादव
03. उ0नि0 विजय सिंह
04. उ0नि0 अनुज भाटी
- 05.हे0का0 राकेश कुमार मिश्रा
- 06.का0 संजय चौहान

